

30/1/20

320/420/20
30/1/20



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोविन्द सिंह रघुवंशी 2. वर्तमान धारित पद एम.डी. मरीला
3. वर्तमान वेतन 59000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1) गा. - चतरखडा पट्टा - सिग्गा जि. - हरशगवाड़	मिट्टी का ढेर भावा कुच्चा भवन 1000 डीर	कृषि भूमि 12 एकड़ लगभग	लगभग 15,00,000 रु. (पंद्रह लाख 000)	स्वयं के नाम से प्रत्यक्ष संपत्ति है।	1) स्वयं से प्राप्त	1) कृषि आय से होने वाली 15,00,000 = 000 रु. (15 लाख, पचास हजार 000) का कर, कर्मचारी नियम से	(8)
2) गा. - गोडी हरशगवाड़ पट्टा - सिग्गा जि. - हरशगवाड़	— 11 —	कृषि भूमि 5.50 एकड़	लगभग 5,00,000 रु. (पांच लाख)	स्वयं के नाम से प्रत्यक्ष संपत्ति है।	2) पुरस्ती पूर्कगो से प्राप्त	2) कृषि आय से होने वाली 50,000 रु. लगभग (सत्तर हजार 000) (वर्तमान वर्ष के)	
3) गा. - चतरखडा पट्टा - सिग्गा जि. - हरशगवाड़	— 11 —	30x50 = 1500 डीर का 1 काट	लगभग 60,000 रु. (सड़हत्तर हजार 000)	स्वयं के नाम से प्रत्यक्ष संपत्ति है।	3) पुरस्ती	3) — 11 —	
4) गा. - चतरखडा पट्टा - सिग्गा जि. - हरशगवाड़	— 11 —	कृषि भूमि 6.50 एकड़	लगभग 6,50,000 रु. (छह लाख 50 हजार 000)	निर्दिष्ट नाम से प्रत्यक्ष संपत्ति है।	4) स्वयं द्वारा अचल संपत्ति	4) कृषि आय से होने वाली लगभग 70,000 रु. (सत्तर हजार 000)	
5) मीरापुरा शा. के समीप नगर के 23-577	30x40 भूखण्ड पर निर्माणधीन भवन	— 11 —	लगभग 6,50,000 रु. (छह लाख 50 हजार 000)	प्रीमिती अर्जित रघुवंशी (पति) के नाम से	5) मेरे स्व. ससुर की रकम मेरे स्व. पिताजी के द्वारा मुझे प्रदान की गई	5) — 11 —	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहुँची नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर गोविन्द सिंह रघुवंशी
नाम गोविन्द सिंह रघुवंशी
पद एम.डी. मरीला